POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 15.06.2025

1. थाना सूरजपुर पुलिस टीम, सीआरटी, सीडीटी/सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त प्रयास करते हुए 02 अपहृत को सकुशल बरामद करते हुए 05 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, कब्जे से छिनी गयी 02 लग्जरी कार, 75,000 रुपये, एक घडी, 03 मोबाइल फोन, 08 ए.टी.एम./आधार्ड कार्ड, 01 लैपटाप मय चार्जर, दो चैकबुक व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.06.2025** को **थाना सूरजपुर पुलिस टीम, सीआरटी टीम, सर्विलांस/सीडीटी टीम द्वारा संयुक्त** प्रयास करते हुए 05 अपहरणकर्ता 1.रोहित पुत्र संजय दहिया 2.प्रदीप मलिक पुत्र रनवीर मलिक 3.सचिन पुत्र जयपाल सिंह 4.आशीष पुत्र कुशलपाल 5.राहुल पुत्र सुनील कुमार को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के पास से दिनांक 12.06.2025 की रात में यूनिटैक होरीजन सोसाईटी, पाई-2, ग्रेटर नोएडा से अपहृत किये गये पीड़ित/अपहृत 1.चन्द्रपाल यादव निवासी यूनिटैक होरीजन, पाई-2, ग्रेटर नोएडा उम्र करीब 65 वर्ष 2.सचिन पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी यूनिटेक होरीजन पाई-2, ग्रेटर नोएडा मूल पता ग्राम सैलाकुई, थाना सैलाकुई, जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड उम्र करीब 27 वर्ष को सकुशल बरामद किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से पीड़ित/अपहृत की लूटी गयी 02 लग्जरी कार (फॉर्चूनर व सोनेट), 75,000 रुपये नगद, एक घडी सैमसंग, 03 मोबाइल फोन, 08 ए.टी.एम./आधार्ड कार्ड, 01 लैपटॉप मय चार्जर, दो चैकबुक, एक बैग तथा अभियुक्त रोहित व प्रदीप मलिक के कब्जे घटना में प्रयुक्त 01-01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02-02 कारतूस जिंदा बरामद किये गये है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्तगण उपरोक्त अपने साथी प्रवेन्द्र व सुरेश दलाल निवासीगण सोनीपत, हरियाणा के साथ मिलकर बडे व्यापारियों एवं कम्पनी मालिको से सम्पर्क कर उनको बैंक से लोन दिलाने के लिये कहते थे तथा फिर लोन स्वीकृत कराने के नाम पर उक्त व्यक्ति से अच्छे सम्बन्ध बना लेते थे, फिर प्रवेन्द्र अपने निजी बैंक खातो से उक्त व्यापारियों को उनके बैंक खाता में या उनकी कम्पनी के बैंक खाता में एक बडी धनराशि मुहैया करा देता था। फिर कुछ दिनो बाद व्यापारियो से 30 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की दर पर अपना पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाते थे तथा 30 प्रतिशत ब्याज न देने पर उस व्यापारी को जबरन उठाकर ले जाते थे, फिर उससे अधिक पैसा लेने के लिए उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए अधिक पैसा देने का दबाव बनाते थे।

उक्त प्रकरण में भी अभियुक्तों के साथी प्रवेन्द्र व सुरेश दलाल ने अपहृत चन्द्रपाल यादव के पुत्र अक्षयदीप व चेतन यादव से भी उनकी कम्पनी पावन एनर्जी इंडिया प्रा0 लिमि0 सेक्टर-135 नोएडा के लिए बैंक से लोन कराने हेतु वार्ता की थी, अपहृत के पुत्रो द्वारा रजामंदी जताने पर प्रवेन्द्र द्वारा कम्पनी के खाता में सितम्बर वर्ष 2024 में 03 करोड़ रुपये भेज दिया गया तथा कुछ दिनो बाद चन्द्रपाल यादव उपरोक्त पर 30 प्रतिशत ब्याज देने के लिए प्रवेन्द्र व उसके साथियों द्वारा दबाव बनाया गया। चन्द्रपाल यादव व उसके पुत्रो द्वारा प्रवेन्द्र व उसके साथियों को 03

करोड़ 17 लाख रुपये वापस कर दिये गये, इसके बाद अभियुक्तों द्वारा चन्द्रपाल यादव पर दबाव बनाया गया कि 03 करोड़ रुपये और हमें दो। इस पर चन्द्रपाल यादव व उसके पुत्रो द्वारा असमर्थता जाहिर कर दी गयी तत्पश्चात अभियुक्तों द्वारा दिनांक 12.06.2025 की रात्रि में यूनिटैक होरीजन पर पहुँचकर चन्द्रपाल यादव व उसके चालक सचिन का अवैध शस्त्र के बल पर अपहरण कर लिया गया एवं उसके घर से पैसा एवं अन्य सामान भी उठा लिया गया तथा चन्द्रपाल यादव व सचिन के साथ मारपीट करते हुए उनकी फॉर्चूनर कार व कीया सोनेट कार भी अपने कब्जे ले ली और चन्द्रपाल यादव व सचिन को दोनो कार सहित लेकर सोनीपत, हरियाणा भाग गये तथा वहाँ पर उनके साथ मारपीट करते हुए 03 करोड़ रुपये और देने का दबाव बनाया गया। उक्त अभियुक्तगण अतिरिक्त 03 करोड़ रुपये लेने के लिए रात्रि में अपहृत चन्द्रपाल यादव व सचिन को फार्चूनर कार व सोनेट कार से पुनः नोएडा लेकर आ गये जिनको सूचना मिलने पर थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार करते हुए दोनो अपहृत को सकुशल छुडाया गया एवं पीड़ित/अपहृत के 75 हजार रुपये नगद व अन्य समस्त सामान सहित दोनो लग्जरी कार बरामद की जा चुकी है। अभियुक्तों के अन्य साथियों की तलाश जारी है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण अपने सूत्रो से ऐसे व्यापारियो की तलाश करते है जिन्हें मोटे बैंक लोन की आवश्यकता है फिर पता चलने पर उक्त व्यापारी से सम्पर्क करते है तथा बैंक से लोन दिलाने के नाम पर स्वंय ही जानबूझ कर अधिक धन उगाने के आशय से अपना निजी पैसा व्यापारी को ट्रांसफर कर देते है फिर व्यापारी पर दबाव बनाकर कई गुणा धन वापस लेते है। पैसा न देने पर अपहरण कर मारपीट कर धन देने के लिए बाध्य करते है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. रोहित पुत्र संजय दहिया निवासी ग्राम रौट, थाना सदर, जिला सोनीपत, हरियाणा वर्तमान पता सुपर मैक्स सोसाइटी, सेक्टर-27, सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 24 वर्ष शिक्षा-बी.बी.ए.
2. प्रदीप मलिक पुत्र रनवीर मलिक निवासी ग्राम उगरा खेडी, थाना सदर, जनपद पानीपत हरियाणा उम्र 36 वर्ष शिक्षा-बी.टेक
3. सचिन पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम बईयापुर, थाना सदर, जिला सोनीपत हरियाणा उम्र 28 वर्ष शिक्षा-बी.काम।
4. आशीष पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम फतेहपुर, थाना सदर, जिला सोनीपत हरियाणा उम्र 24 वर्ष शिक्षा-बी.ए.
5. राहुल पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम प्रीतमपुरा, थाना कुंण्डली, जिला सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 23 वर्ष शिक्षा बी.ए.

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 347/2025 धारा 140(1)/115(2)/352/351(3)/61(2)/308(5)/309(4)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- एक लैपटाप मय चार्जर

2- एक घडी सैमसंग एक स्टाम्प मोहर फोर पवन एनर्जी इंडिया प्रा0लिमि0

3- एक पर्स रंग काला जिसमें एचडीएफसी कार्ड

4- 02 आईसीआईसीआई बैक कार्ड

5- इलाहाबाद बैंक कार्ड

6- पीएनबी कार्ड

7- पैनकार्ड

8- आधार कार्ड

9- आईकार्ड

10- एक डायरी व चैकबुक आईसीआईसीआई बैंक

11- चैकबुक एचडीएफसी बैंक

12- दो अवैध तमंचा .315 बोर मय 04 कारतूस जिंदा .315 बोर

13- एक कार फार्चूनर टोयटा रजि0 नं0 यूपी 83 बी.एल. 8808

14- एक कार कीया सोनेट रजि0 नं0 यूपी 16 सी.क्यू 9992

15- 03 मोबाइल फोन (भिन्न भिन्न कम्पनी)

16- 75,000 रुपये नगद

2. **थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिक को किया गया गिरफ्तार**।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **15.06.2025** को **थाना सेक्टर-126** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से अवैध रूप से भारत देश में निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिक/ अभियुक्त आसिफ शेख पुत्र अब्दुल रोब शेख को ग्राम बख्तावरपुर सेक्टर-127 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 मोबाइल फोन, विभिन्न पते के 02 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 पासपोर्ट (छायाप्रति – भारतीय) व 01 बांग्लादेशी जन्म प्रमाण-पत्र बरामद किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त, बिना वैध पासपोर्ट एवं वीजा के भारत देश में अवैध रूप से निवास कर रहा था। भारत देश में रहकर उसने इन्द्रापुरम, गाजियाबाद से फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार करवाए जिनका प्रयोग कर वह इंदिरापुरम गाजियाबाद (उत्तरप्रदेश) एवं पुणे (महाराष्ट्र) में निवास करता रहा तथा वर्तमान में ग्राम बख्तावरपुर सेक्टर-127 नोएडा में निवास कर रहा था। अभियुक्त का भाई भी वर्ष 2018 में अवैध रूप से भारत देश में घुस आया था जिसे गाजियाबाद पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था। अभियुक्त द्वारा अपनी बहन को भी अवैध रूप से भारत देश में लाने की योजना बनाई जा रही थी। बरामद मोबाइल फोन की जांच में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा लगातार बांग्लादेशी मोबाइल नंबरों पर 'Whatsapp' व 'IMO' ऐप के माध्यम से संवाद किया जा रहा था जिसमें अभियुक्त द्वारा अपने पिता, बहन व अन्य रिश्तेदारों से वीडियों कॉलिंग की पुष्टि की गई।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 92/2025 धारा 336(3)/340(2) बीएनएस व 14(a) विदेशी अधिनियम 1946, थाना सेक्टर-126, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 02 मोबाइल फोन
2. 01 आधार कार्ड (भारतीय मूल प्रति)
3. 01 आधार कार्ड (भारतीय छायाप्रति)
4. 01 पैन कार्ड (भारतीय मूल प्रति)
5. 01 ड्राइविंग लाइसेंस (भारतीय मूल प्रति)
6. 01 पासपोर्ट (छायाप्रति – भारतीय)
7. 01 बांग्लादेशी जन्म प्रमाण-पत्र (छायाप्रति)